



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042022-235467
CG-DL-E-30042022-235467

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1886]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2022/वैशाख 9, 1944

No. 1886]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2022/VAISAKHA 9, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2022

का.आ. 1986(अ).—केन्द्र सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1388(अ) तारीख 26 मार्च, 2021, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 26 मार्च, 2021, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में ओडिशा राज्य में पारादीप (ओडिशा) से नुमालीगढ़ (असम) तक कच्चा तेल परिवहन के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 12 सितम्बर 2021, तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्र सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्र सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्र सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्र सरकार, सक्षम प्राधिकारी और राज्य सरकार या कारपोरेशन के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला :- पूर्व बर्धमान					राज्य :- पश्चिम बंगाल			
क्रम सं.	पोलिस स्टेशन	ब्लक	मौजा का नाम एवं जे.एल नंबर	नक्सा प्रकाशन प्रकार	दाग नंबर	क्षेत्रफल		
						हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आउसग्राम	आउसग्राम-1	आलुटिया-102	L.R	1829	00	10	90
					1830	00	00	30
					1802	00	01	20
					1836	00	04	00
					1838	00	02	50
					1840	00	02	00
					1841	00	03	00
					1844	00	05	30
					1710	00	02	70
					1711	00	00	80
					1709	00	00	40
					1689	00	08	00
					1700	00	04	10
					1690	00	00	20
					1698	00	01	00
					1691	00	00	70
					1692	00	01	60
					1697	00	05	20
					1693	00	01	30
					1694	00	06	30
					1695	00	00	30
					1632	00	00	40
					1571	00	05	40
					1631	00	03	20

1572	00	00	20
1575	00	10	40
1576	00	03	80
1578	00	03	90
1577	00	06	50
1579	00	08	10
1583	00	08	30
1582	00	01	60
1489	00	01	50
1490	00	06	40
1491/2894	00	00	20
1491	00	07	90
1488	00	02	10
1495	00	01	90
1496/2695	00	07	00
1284	00	01	50
935	00	14	10
934	00	02	30
927	00	08	50
925	00	31	90
926	00	01	10
924	00	00	50
923/3741	00	02	20
922	00	00	90
924	00	00	40
923	00	07	80
911	00	07	80
904	00	01	70
910	00	07	50
905	00	00	20
908	00	17	70
906	00	02	50
907	00	01	10
785	00	04	00
786	00	04	40
780	00	04	40

781	00	00	20
779	00	03	50
782	00	01	10
760	00	02	00
761	00	02	00
762	00	02	30
759	00	04	90
765	00	01	80
758	00	01	70
757	00	01	80
756	00	06	60
755	00	06	20
291	00	04	10
295	00	01	60
293	00	08	40
284	00	12	30
280/742	00	02	40
281	00	03	10
282	00	02	50
283	00	01	90
280	00	01	00
275	00	02	50
165	00	06	20
168	00	01	10
164	00	06	20
163	00	02	60

[फा. सं. आर-11025(14)/2/2019-ओआर-1/ई-37221]

पी. सोमा कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2022

S.O. 1986(E).—Whereas by the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1388(E) dated the 26th March, 2021, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated the 26th March 2021, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the State of Odisha for

the transportation of Crude Oil from Paradip in Odisha to Numaligarh in Assam by Numaligarh Refinery Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 12.09.2021;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Numaligarh Refinery Limited, free from all encumbrances.

Numaligarh Refinery Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit or legal proceeding shall lie against the Central Government, the competent authority or State Government or Corporation on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Purba Bardhaman					State : West Bengal			
Sl. No.	Police Station	Block	Mouza & J.L No.	Map Publication Type	Plot No.	Area		
						Hec	Are	Sq. Mtr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ausgram	Ausgram-1	Aluthia-102	L.R	1829	00	10	90
					1830	00	00	30
					1802	00	01	20
					1836	00	04	00
					1838	00	02	50
					1840	00	02	00
					1841	00	03	00
					1844	00	05	30
					1710	00	02	70
					1711	00	00	80
					1709	00	00	40
					1689	00	08	00
					1700	00	04	10
					1690	00	00	20
					1698	00	01	00
					1691	00	00	70
					1692	00	01	60
					1697	00	05	20
					1693	00	01	30
					1694	00	06	30
					1695	00	00	30
					1632	00	00	40

1571	00	05	40
1631	00	03	20
1572	00	00	20
1575	00	10	40
1576	00	03	80
1578	00	03	90
1577	00	06	50
1579	00	08	10
1583	00	08	30
1582	00	01	60
1489	00	01	50
1490	00	06	40
1491/2894	00	00	20
1491	00	07	90
1488	00	02	10
1495	00	01	90
1496/2695	00	07	00
1284	00	01	50
935	00	14	10
934	00	02	30
927	00	08	50
925	00	31	90
926	00	01	10
924	00	00	50
923/3741	00	02	20
922	00	00	90
924	00	00	40
923	00	07	80
911	00	07	80
904	00	01	70
910	00	07	50
905	00	00	20
908	00	17	70
906	00	02	50
907	00	01	10
785	00	04	00
786	00	04	40
780	00	04	40
781	00	00	20
779	00	03	50
782	00	01	10
760	00	02	00
761	00	02	00
762	00	02	30
759	00	04	90
765	00	01	80

	758	00	01	70
	757	00	01	80
	756	00	06	60
	755	00	06	20
	291	00	04	10
	295	00	01	60
	293	00	08	40
	284	00	12	30
	280/742	00	02	40
	281	00	03	10
	282	00	02	50
	283	00	01	90
	280	00	01	00
	275	00	02	50
	165	00	06	20
	168	00	01	10
	164	00	06	20
	163	00	02	60

[F. No. R-11025(14)/2/2019-OR-I /E-37221]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.